



2026:AHC:51070-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 4607 वर्ष 2026

पिटू @ गौरव और 3 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राजेश कुमार रॉय शर्मा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी. ए.

कोर्ट नंबर - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना, तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. सबसे पहले, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए ने यह बताया है कि प्रस्तुत मामले में, जाँच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दिनांक 04.02.2026 को आरोप-पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, किंतु उनका कथन है कि वे इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं, साथ ही उन्हें उचित चरण पर उचित फोरम से संपर्क करने की स्वतंत्रता भी दी जाए।
4. उपरोक्त को देखते हुए, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव,) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,)

12 मार्च, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नदीम

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।